न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/67/2017

उनवान

1. गोपाल आत्मज देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती रोशनी पुत्री देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती आशा पुत्री देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती मंशा पुत्री देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती पारसी पुत्री देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. सुनीता पुत्री देवी लाल जाट नाबालिग जरिये संरक्षक माता देउ बेवा देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. मु0 देउ पत्नि देवी लाल जाट निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. लालू आत्मज पोखर कुमावात निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. सोहन आत्मज पोखर कुमावात निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. माधू आत्मज सोहन कुम्हार निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. जगदीश आत्मज सोहन कुम्हार निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. शेषू आत्मज सोहन कुम्हार निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. नारायण आत्मज सोहन कुम्हार निवासी कुम्हारिया खेडा(चीडखेडा) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 17/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.8.2016

अधिवक्तागण :–

1.श्री जे सी दाधीच ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री विजय जीनगर, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 20.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 के पिता व पति /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चीडखेडा पटवार हल्का चीडखेडा तहसील सहाडा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 175 की आराजी नम्बर 2294 रकबा 0.29 है0, आराजी नम्बर 2295 रकबा 0.21 है0, आअराजी नम्बर 2298 रकबा 0.49 है0 वादी देवी लाल पिता हरलाल जाट के हक अधिकार एवं कब्जेकाश्त में स्थित है। उक्त आराजियात के चारों तरफ वादी द्वारा थोहरों की बाड लगा रखी है तथा वर्तमान में उक्त आराजियात में कपास व गैहूँ की फसल खडी है एवं कुछ जमीन पर चारा उगा हुआ है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी संख्या 2298 रकबा 0.49 के थोहरों की बाड को काटकर वादी की आराजी नम्बर 2298, 2295, व 2294 पर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रास्ता बनाने के लिए दिनांक 14.11.2009 से अमादा हो रहे हैं जबकि वादी की उक्त आराजियात में किसी भी प्रकार का रास्ता मौके पर नहीं है , न ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है एवं न ही प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात में कदीमी रास्ता अवस्थित है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जाकाश्त चल आ रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण लाठी के बल पर इकठ्ठे होकर अतिक्रमण कर नाजायज तौर पर रास्ता कायम करने के लिए अग्रसर है।

2. अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादी की खातेदारी अधिकार की वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का रास्ता न तो स्वयं बनाये एवं न ही किसी अन्य से बनवाये तथा वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। प्रस्तुत प्रकरण में वादी देवी लाल जी गंभीर रूप से क्षय रोग से ग्रसित थे तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के 1 वर्ष पूर्व से ही वे ईलाजरत थे। वाद में समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण के पिता एवं पति ने ही की थी। इस कारण वाद बाबत अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 21.1.2017 को प्रत्यर्थी

(कैलाश चन्द्र लखोरा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

संख्या 2 सोहन जी द्वारा अपीलार्थीगण को बताया कि वे उनके खातेदारी अधिकार की आराजी में रास्ता निकालेंगें क्योंकि उनका दावा खारिज हो गया है। इस पर प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत यिा एवं दिनांक 1.2.2017 को नकल प्राप्त हुई। तब अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीगण को जानकारी हुई। इसलिए जानकारी से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की गई है। अतः निर्णय पारित किये जाने से निर्णय की नकल प्राप्ति की अवधि को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज करने का मुख्य रूप से यह आधार लिया कि वादी को साक्ष्य हेतु 17 अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जबकि वादी अपनी साक्ष्य हेतु एक से अनेकों बार अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हुआ और अधीनस्थ न्यायालय में वादी के उपस्थित होने से यह नहीं माना जा सकता है कि वादी अपने वाद में कोई रूचि नहीं ले रहा हो। वादी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.4.2011, 31.10.2011, 18.12.2012, 12.3.2013 को बयान हेतु उपस्थित हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणों से वादी के बयान नहीं हो पाये वादी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है अधीनस्थ न्यायलय ने साक्ष्य वादी बन्द करने मे भारी भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार के तहत वर्ष 2015 में भी उक्त पत्रावली को रखा गया तथा कफी समझाईश के बावजूद प्रकरण में राजीनामा नही हो पाया । राजस्व कैम्प में केवल राजीनामा होने वो प्रकरण अथवा राजीनामा होने की संभावना वाली पत्रावलियों को ही रखा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के द्वारा कन्टेस्टडेड पत्रावली का निस्तारण राजस्व कैम्प में करने में भारी भूल की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व कैम्प में वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केवल प्रतिवादीगण की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जबकि वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। प्रकरण को रेगूलर अदालत मे रखा जाना चाहिये था।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 15.3.2016 को बहस हेतु पत्रावली नियत थी उस रोज पीठासीन अधिकारी जी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पेशी तब्दील की गई और आगामी पेशी दिनांक 27.6.2016 दी गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा पेशी नोट कर ली गई। लेकिन उसके बाद फर्द अहकाम को बढाया जाकर राजस्व लोक अदालत में मु0 चीडखेडा मेंरखने हेतु फर्द अहकाम लिखी गई। उक्त आदेशिका की जानकारी वादी के अधिवक्ता को नही हुई । इस प्रकार वादी के अधिवक्ता के बेंक एण्ड बिहाईण्ड में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 30.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प चीडखेडा में वादी उपस्थित ही नही था फिर भी वादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए तथा हस्ताक्षर करने से इंकारी लिख दिया जाना गलत तौर पर वर्णित किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी का अवलोकन भी नहीं किया गया था वादग्रस्त आराजी वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी ऐसी स्थिति में खातेदार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिये

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

था। आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में वादग्रस्त आराजी में कदीमी रास्ता होने बाबत उल्लेख किया है जबकि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की आराजी में नये सिरे से रास्ता कायम करना चाहते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादीगण को प्रवेश का आदेश दे दिया है। जमाबंदी का भी अवलोकन नहीं किया गया था। यदि कदमिना रास्ता था तो प्रतिवादीगण को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। वादी/खातेदार की आराजी में बिना किसी हक अधिकार के प्रवेश करने एवं रास्ता कायम करने पर आमादा होने की स्थिति में वादी/खातेदार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2016 को अपास्त फरमाया जाकर अपीार्थीगण के पिता/पति द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद अनुसार अनुतोष प्रदान किया जावे तथा विकल्प में निवेदन है कि अपीलार्थीगण को वादी बअनवान कायम फरमाते हुए वादी की साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रकरण को अज सरे नो निर्णित करने हेतु अपील रिमाण्ड फरमाई जावे।

12. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण के पिता, पति /वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया । उसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

13. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के पिता, पति द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिस 25.1.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.8.2010 को प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 15.11.2010 को तनकियात कायम की गई। उसके उपरान्त वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी दिनांक 11.4.2011, 31.10.2011, 18.12.2012, 12.3.2013 को बयान हेतु उपस्थित हुआ था ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता हो अथवा उसका रवैया प्रकरण के प्रति उदासीन रहा हो।

15. प्रकरण को दिनांक 30.7.205 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगापुर में रखा गया जहॉ पर प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

राजीनामा नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में नहीं किया जाना था। राजस्व लोक अदालत में मात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहार्द से प्रकरण का निस्तारण चाहा गया हो। नियत तारीख पेशी दिनांक 15.3.2016 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी 27.6.2016 नियत की गई । इस बाबत न्यायालय द्वारा मोहर लगाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.6.2016 नियत की गई थी। उसके बाद में हाथ से आदेशिका लिखी गई एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.5.2016 अंकित की गई है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता के अधिवक्ता ने दिनांक 15.3.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.6.2016 नोट कर ली थी उसके बाद आदेशिका लिखे जाने एवं अन्य पेशी दर्ज किये जाने की जानकारी नही थी। उसके बावजूद प्रकरण को नियत दिनांक 27.6. 2016 से पूर्व ही 30.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प चीडखेडा पर रख दिया गया । उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व अपीलार्थीगण के पिता, पति/वादी को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया । जबकि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने बाबत सूचना पत्र जारी कर उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। जब वादी को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने की जानकारी ही नहीं थी ऐसी स्थिति में उसके द्वारा राजस्व कैम्प में उपस्थित होने की संभावना भी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय में वादी की उपस्थिति दर्ज की गई है तथा उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने का अंकन किया गया है। जिसे उचित नही माना जा सकता है। प्रकरण में जब वादी को नियत तारीख पेशी की जानकारी ही नही थी एवं जानकारी के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अभाव में अधीनस्थ न्यायालय में वादी उपस्थित ही नही था । उसके बावजूद प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प में किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का विवेचन कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया गया है। जबकि मूल वाद में बाद साक्ष्य सुनवाई उभयपक्ष के हक अधिकारों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण के पिता, पति /वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण विधिवत प्रक्रिया को अपनाते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.04.2020 को उपस्थित रहे।

18. निर्णय आज दिनांक 20.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.20 14:44:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: